न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 239/2025
जीसीएमएस संख्या–2025/329

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
ढगलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी लवारी तहसील पीपाड़ शहर		1. हरचन्द पुत्र सुखाराम 2. अरविन्द कुमार पुत्र हेमाराम 3. बाबुड़ी पत्नी चन्द्राराम 4. राजेन्द चौधरी पुत्र चन्द्राराम जातियान जाट निवासीगण लवारी तहसील पीपाड़ शहर 5. शाखा प्रबंधक, एसबीआई पीपाड़ शहर 6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह–प्रार्थीगण

श्री पृथ्वीराज चौहान–अप्रार्थी संख्या 01 से 03

निर्णय

दिनांकः– 08/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम लवारी स्थायी मूल निवासी है। प्रार्थी कृषि कार्य, पशुपालन, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है। ग्राम लवारी की राजस्व सीमा में पार्थी की खातेदारी कब्जासुद्धा कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 क्षेत्रफल 1.1911 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 262 क्षेत्रफल 0.8575 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 302 क्षेत्रफल 4.7200 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 303 क्षेत्रफल 0.1519 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 307 क्षेत्रफल 1.1681 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 308 क्षेत्रफल 0.0918 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल खसरा 06 कुल क्षेत्रफल 8.1804 हैक्टेयर भूमियां आई हुई है, सबूत में नकल जमाबन्दी व नक्शे की प्रतियां संलग्न है। उक्त वादग्रस्त भूमियों के चारों तरफ पुरानी गाँठे कायम की हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में काबिज होकर काश्त कार्य करता आया है। प्रार्थी की वादग्रस्त भूमियों की माँठे पुरानी होने से मौके पर खुर्द–बुर्द हो गई है प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवा रखा है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की मौके पर पैमाईस करवाकर पत्थरगढी करवाकर वादग्रस्त भूमि के चारो तरफ पक्की दीवार बनाना चहता है इसलिए वादग्रस्त भूमि की पैमाईस की जाकर वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी / मुडागढी का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगा एवं नियमानुसार राज्य सरकार में राशि जमा करवा देंगा एवं कमिश्नर फीस अदा कर देगा। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डें उपलब्ध करवा देगा एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगा एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिनमें से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान ने वकालतनामा पेश किया, बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 को बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 का बाद समन तामिल स्वय/प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थी के राजस्व ग्राम लवारी के खसरा संख्या 260, 262, 302, 303, 307, 308 सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान पक्षकारान् की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम लवारी के खसरा संख्या 260, 262, 302, 303, 307, 308 सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लवारी के खसरा संख्या 260, 262, 302, 303, 307, 308 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस आशय की तहरीर जारी हो ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 08/04/2026 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर